



प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद - ५०० ००४.
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500004.

No.PDA(C)Admn/L&A/2024-25/I/643038/2024

Date:12-06-2024

कार्यालय आदेश संख्या-14

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), हैदराबाद के कार्यालय में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार आंतरिक शिकायत समिति को 22.05.2024 से निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया है।

1. सुश्री डी. रामालक्ष्मी, निदेशक, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद, **अध्यक्ष के रूप में**
2. सुश्री पी. विजया लक्ष्मी, व.लेप.अ., प्र.नि.लेप(कें) का कार्यालय, हैदराबाद, **सदस्य के रूप में**
3. श्री. आर. प्रवीण कुमार, व.लेप.अ., प्र.नि.लेप(कें) का कार्यालय, हैदराबाद, **सदस्य के रूप में**
4. सुश्री डी.एस.वी. महालक्ष्मी, बाह्य समिति सदस्य, उच्च न्यायालय के वकील, परिवार परामर्शदाता, परामर्श मनोवैज्ञानिक और ओ.ओ.आर.ए.टी.ए., हैदराबाद के संस्थापक, **बाह्य समिति के सदस्य के रूप में**

अतः इस कार्यालय की सभी महिला कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण), नियम, 1964, के नियम 3-सी के अंतर्गत किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत है, तो समिति को लिखित रूप से दे सकती हैं, चाहे उनका संवर्ग कोई भी हो।

(प्राधिकरण: सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 22.05.2024 का टिप्पण आदेश)

हस्ता/-

(उप निदेशक / प्रशासन)

प्रति,

समिति के सभी सदस्य

सचिव, प्रधान निदेशक (केन्द्रीय) का कार्यालय, हैदराबाद

सभी समूह अधिकारी

मुख्यालय के सभी स्कंध

सूचना पट्ट

व.लेप.अ./आइ.एस. स्कंध- कार्यालय आदेश को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।